

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

3. राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/ 4530

दिनांक: 24/9/19

:-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री राकेश पुत्र लक्ष्मण	सफाई कर्मचारी	मेडता सिटी	बासवाडा
2	श्री नाथुराम पुत्र छेलाराम	सफाई कर्मचारी	मेडता सिटी	झालावाड
3	श्री शान्तराम पुत्र शंकरलाल	सफाई कर्मचारी	सांगरीया	बीकानेर
4	श्री रवि जावा	सफाई कर्मचारी	मेडता सिटी	जोधपुर

विभागीय आदेश क्रमांक प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/ 19/ क्रमांक 3714-3735 दिनांक 04.09.2019 के क्रम संख्या 04 पर अंकित श्री रवि कुमार सफाई कर्मचारी का नगर पालिका सुरजगढ से नगर पालिका उदयपुरवाटी मे किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। श्री रवि कुमार अपनी उपस्थिति नगर पालिका सुरजगढ में देवे।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट -

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किरीसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।


(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव